

प्रेषक,

एस.एस. टोलिया,  
संयुक्त सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,  
लोक निर्माण विभाग,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2



देहरादून : दिनांक जून, 2019

विषय: जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र अल्मोड़ा के विभिन्न स्वीकृत मार्गों के नाम लिंक मोटर मार्ग में परिवर्तन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या: 545/01/(35)व.भू.नि.-III/19 दिनांक 19 जून, 2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र अल्मोड़ा के विभिन्न 22 स्वीकृत मार्गों का विवरण उपलब्ध कराते हुए सम्बन्धित स्वीकृत मार्गों के नाम लिंक मोटर मार्ग में परिवर्तन किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. प्रश्नगत प्रकरण का शासन रत्तर पर परीक्षण किया गया, परीक्षणोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र अल्मोड़ा के विभिन्न 22 स्वीकृत मार्गों (संलग्न सूची में उल्लिखित विवरणानुसार) के नाम लिंक मोटर मार्ग में परिवर्तन किये जाने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त विभिन्न 22 स्वीकृत सड़क मार्गों के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत शासनादेशों की शेष शर्त यथावत् रहेगी।

कृपया नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्न— यथोपरि।

भवदीय,

(एस.एस. टोलिया)  
संयुक्त सचिव।

2313  
सं.- / III(2)-19-52(M.L.A.)/17TC तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, चन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. निदेशक, राष्ट्रीय राजना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
5. क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा।
6. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।

**ज्ञाते पति स्वयंप्रिति**  
13/6/19

सहायक अभियन्ता,  
विभाग 14 वा 10 नं. 04/06/2019

आज्ञा से,

२३१३  
शासनादेश सं.- / III(2)-19-52(M.L.A.)/17TC दिनांक 26 जून, 2019 का संलग्नक

**स्वीकृत मोटर मार्ग के नाम संशोधन विषयक**

**खण्ड का नाम-निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा**

क्र० सं०	मोटर मार्ग का नाम	शासनादेश सं०	संशोधनोपरान्त लिंक मोटर मार्ग का नाम	गांव का नाम
1	अल्मोड़ा-घाट मोटर मार्ग चितईपन्त तिराहे रो (हरिदत पेटशाली इ.का. से आगे) पेटशाल तक वैकल्पिक मार्ग	शा०सं० 572 / 111 (2) / 06-08 (पा. 3ा.) / 06 दिनांक 28. 03.06	अल्मोड़ा-घाट मोटर मार्ग (एन०एच० 309 वी) के चितईपन्त तिराहे से हरिदत पेटशाली इ.का. से आगे पेटशाल तक लिंक मोटर मार्ग।	चितई तिवारी, चितई पत, मन्योली, पूनाकोट, पेटशालबाड़ी
2	शैल-धुरसौं छाना कुडगोली हवालबाग मोटर मार्ग	शा०सं० 182 / लो.नि. वि-०४-० प्रा०आ०/ 2004 दि० 12.02.04	एन०एच० 309 ए (शैल) से धुरसौं छाना कुडगोली हवालबाग लिंक मोटर मार्ग	शैल, छाना, धुरसौं, धमुकाकनाला, कुडगोली, धनेली
3	परेट पत्थर-खानी-झौलछीना मोटर मार्ग	शा०सं० 182 / लो.नि. वि-०४-० प्रा०आ०/ 2004 दि० 12.02.04	पनुवानौता-वृद्ध जारीश्तर मोटर मार्ग से परेट पत्थर- खानी- झौलछीना तक लिंक मोटर मार्ग का निर्माण।	लाठिना, खिलौ
4	जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के विकासखण्ड हवालबाग के डीनापानी खड़ेग रो मटेना तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य	शा०सं० 80 / 111(2) / 18-52(एम.एल.ए.) / 2017 दि० 16.01. 2018	जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के विकासखण्ड हवालबाग में एन०टी०झ०- कफ़डखान मोटर मार्ग (एम०झ०आर० 3) के डीनापानी खड़ेग रो मटेना तक लिंक मोटर मार्ग का निर्माण।	डीनापानी, खड़ेग, मटेना
5	जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के विकासखण्ड हवालबाग के कसार देवी (तिवाड़ी खान) से ग्राम माठ तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य	शा०सं० 80 / 111(2) / 18-52(एम.एल.ए.) / 2017 दि० 16.01. 2018	जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के विकासखण्ड हवालबाग में एन०टी०झ०- कफ़डखान मोटर मार्ग (एम०झ०आर० 3) के कसार देवी (तिवाड़ी खान) से ग्राम माठ तक सिंक मोटर मार्ग का निर्माण।	माठ, तिवाड़ी खान
6	जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के अन्तर्गत शल्ला भाटकोट रो सुकुना सल्यूड़ी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	शा०सं० 80 / 111(2) / 18-52(एम.एल.ए.) / 2017 दि० 16.01. 2018	जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के सेसाघाट- कुञ्जिकोला मोटर मार्ग के शल्ला भाटकोट रो सुकुना सल्यूड़ी तक लिंक मोटर मार्ग का निर्माण।	शल्ला भाटकोट, सल्यूड़ी, सुकुना
7	जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के अन्तर्गत जौलबाज से ऐडीखान तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	शा०सं० 80 / 111(2) / 18 -52(एम.एल.ए.) / 2017 दि० 16.01. 2018	जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के अन्तर्गत वृद्ध जारीश्तर- कौरेश्तर मोटर मार्ग के जौलबाज से ऐडीखान तक लिंक मोटर मार्ग का निर्माण।	ऐडीखान
8	जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के अन्तर्गत हवालबाग बसोली मोटर मार्ग में रिथत ग्राम पाखुड़ा से सुन्दरपुर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	शा०सं० 80 / 111(2) / 18-52(एम.एल.ए.) / 2017 दि० 16.01. 2018	जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के अन्तर्गत हवालबाग बसोली मोटर मार्ग में रिथत ग्राम पाखुड़ा से सुन्दरपुर तक लिंक मोटर मार्ग का निर्माण।	पाखुड़ा, पिल्खा
9	विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के विकासखण्ड भैंसियाछाना के ग्राम पूनाकोट से कालिका गन्दिर तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य प्रथम चरण।	शा०सं० 2557 111(2) / 18-52 (एम०एल०ए०) / 2017 दि० 11.06.2018	विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के विकासखण्ड भैंसियाछाना के पेटशाल-पूनाकोट मोटर मार्ग से कालिका गन्दिर तक लिंक मोटर मार्ग का निर्माण।	पूनाकोट, नरायण देवल
10	जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के अन्तर्गत	शा०सं० 2102 / 111 (2) / 16 -52 (एम.	जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के अन्तर्गत दलबैण्ड से	देवल

11	जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा अल्मोड़ा के अन्तर्गत विकाराखण्ड गैशियाघाना के कसानबैण्ड से ग्राम तिमुरी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	शा०रं० 1306(A) / 111(2) / 19-52 (एम०एल०ए०) / 17 टी.सी. दि० 07.03. 2019	जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा अल्मोड़ा में अल्मोड़ा-बेरीनाम-अरकोट मोटर मार्ग (एस०एच० ३) के कसानबैण्ड से ग्राम तिमुरी तक लिंक मोटर मार्ग। (प्रथम चरण)	तिमुरी, सोहाना अंगोरा,
12	जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के अन्तर्गत उडलगांव से कुंजबरगल तक मोटर मार्ग का नव निर्माण। (प्रथम चरण)	शा०रं० 1306(A) / 111(2) / 19-52 (एम०एल०ए०) / 17 टी.सी. दि० 07.03. 2019	जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा अल्मोड़ा में पेटशाल-बमनरवाल मोटर मार्ग के उडलगांव से कुंजबरगल तक लिंक मोटर मार्ग। (प्रथम चरण)	उडलगांव, कुंजबरगल
13	जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के अन्तर्गत ग्राम जमराडी बैण्ड से भनोल गांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण। (प्रथम चरण) लाप्वाई 8.00 किमी०+ 15की० रापान आरुरी०सी० मोटर सेतु	शा०सं० 1306(A) / 111(2) / 19-52 (एस०एल०ए०) / 17 टी.सी. दि० 07. 03.2019	जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा अल्मोड़ा में अल्मोड़ा-बेरीनाम-अरकोट मोटर मार्ग (एस०एच० ३) के जमराडीबैण्ड से भनोल गांव तक लिंक मोटर मार्ग। (प्रथम चरण)	बैलवाव गांव, भनोल गांव, नैल कटौज
14	जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के अन्तर्गत ग्राम प० हटोला के लोडिया गधेरे से ग्राम खुडियारी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण। (प्रथम चरण)	शा०सं० 1306(A) / 111(2) / 19-52 (एम०एल०ए०) / 17 टी.सी. दि० 07. 03.2019	जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा अल्मोड़ा में अल्मोड़ा-बेरीनाम-अरकोट मोटर मार्ग (एस०एच० ३) के गधेरे से ग्राम खुडियारी तक लिंक मोटर मार्ग। (प्रथम चरण)	खुडियारी, सुनियारी, भंजर
15	जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के अन्तर्गत न्योली से तरुला तक मोटर मार्ग का नव निर्माण। (प्रथम चरण)	शा०सं० 1306(A) / 111(2) / 19-52 (एस०एल०ए०) / 17 टी.सी. दि० 07. 03.2019	जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा अल्मोड़ा में नैनी-सेसघाट मोटर मार्ग के न्योली से तरुला तक लिंक मोटर मार्ग। (प्रथम चरण)	न्योली तरुला
16	जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के अन्तर्गत हवालबाग-बसोली गोटर मार्ग का खनून होते हुए पातलीबगड़ तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	शा०सं० 252 / 111(2) / 19- 52 (एम०एल०ए०) / 17 दि० 17.01.2019	जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा अल्मोड़ा के अन्तर्गत हवालबाग-बसोली गोटर मार्ग का खनून होते हुए पातलीबगड़ तक लिंक मोटर मार्ग (प्रथम चरण)	खनून
17	जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के अन्तर्गत पनुवानौला लीसा डिपो से ग्राम सभा दियारी (पंचायत घर) तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	शा०सं० 1306 / 111(2) / 19- 52 (एम०एल०ए०) / 17 दि० 07.03.2019	जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा अल्मोड़ा के अन्तर्गत पनुवानौला लीसा डिपो से ग्राम सभा दियारी (पंचायत घर) तक लिंक मोटर मार्ग (प्रथम चरण)	दियारी
18	जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के अन्तर्गत ग्राम दुमरी से कुंजबरगल तक मोटर मार्ग का नव निर्माण। (प्रथम चरण)	शा०सं० 1306 / 111(2) / 19- 52 (एम०एल०ए०) / 17 दि० 07.03.2019	जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा अल्मोड़ा के अन्तर्गत ग्राम दुमरी से कुंजबरगल तक लिंक मोटर मार्ग। (प्रथम चरण)	दुमरी, कुंजबरगल
19	जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के अन्तर्गत लिंगुणता से बिनूक बतलचौला तक मोटर मार्ग का नव निर्माण। (प्रथम चरण)	शा०सं० 1306 / 111(2) / 19- 52 (एम०एल०ए०) / 17 दि० 07.03.2019	जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा अल्मोड़ा के अन्तर्गत लिंगुणता से बिनूक बतलचौला तक लिंक मोटर मार्ग। (प्रथम चरण)	बिनूक, बतलचौला

ज्ञाये बति सत्यपित्र

वायक आभ्यन्ता,

५१२.११९

२३२

६५०४

प्रमुख अभियन्ता  
लोक निर्माण विभाग  
देहरादून।

प्रेषक,  
जीवन सिंह,  
उप सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

रोवा मे,  
प्रमुख अभियन्ता,  
लोक निर्माण विभाग,  
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-२

देहरादून : दिनांक १६ जनवरी, २०१८

विषय:- वित्तीय वर्ष २०१७-१८ में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र-अल्मोड़ा के अन्तर्गत विभिन्न ०९ निर्माण कार्यों हेतु प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा द्वारा संलग्न विवरण में उल्लिखित कुल ०९ मोटर मार्गों हेतु उपलब्ध कराये गये प्रथम चरण के कार्यालयों, जिसकी कुल लम्बाई ३३.५ किमी० + १ Bridge तथा लागत ₹ ८४४.९० लाख है, पर विभागीय टॉ०५०४०८०१० द्वारा परीक्षणोंपरान्त संस्तुत औंचित्यपूर्ण धनराशि ₹ ८४४.९० लाख (₹ आठ करोड़ बैवालीस लाख नब्बे हजार मात्र) की प्रशासकीय तथा वित्तीय एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष २०१७-१८ में व्यय हेतु प्रति कार्य ₹ ०.१० लाख (₹ दस हजार मात्र) अर्थात् कुल ०९ कार्यों हेतु ₹ ०.९० लाख (₹ नब्बे हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :—

(i)— उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश सं०-१७६४ / III(२) / १०-१७(सामान्य) / २००८ दिनांक १७ जून, २०१० की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ii)— आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii)— कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नाम है, स्वीकृत नाम से अधिक व्यय क्यापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में बचत हो रही है तो उसका सनायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

(iv)— कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(v)— आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(vi)— स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्यौरमेन्ट रूल्स-२०१७ एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मेनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(vii)— मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं०-२०४७ / XIV-२१९(२००६) दिनांक ३०-०५-२००६ द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

आगणन नुसार स्वीकृत आगणन में एन०पी०वी०, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिपिटंग आदि मदों के सम्पादनशील व्यय अनुपालन सं० २२ लोगोपर्स्त ८००० रुपये के लिए अनुपालन किया जायेगा।

(6)

अधिग्रहण-00 -24 वृहत निर्माण कार्य में विभागीय आय-व्ययक में प्राविधानित तथा निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।

(ix) स्वीकृत किये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिकारी अभियन्ता का होगा।

(x) वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2018 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद में निवर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

(xi) यदि स्वीकृत किये 'जा रहे कार्यों में से कोई कार्य प्रधानमंत्री ग्रामीण सङ्करण योजनान्तर्गत स्वीकृत है अथवा प्रधानमंत्री ग्रामीण सङ्करण योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की जा सकती है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति रवत: निररत समझी जायेगी।

(xii) विषयगत कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि ₹ 0.90 लाख का बजट आबंटन, वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-183 / XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च, 2012 के अनुक्रम में, लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0-22, के अन्तर्गत अलॉटमेन्ट आई0डी0 संख्या:-S1801220195 दिनांक 11 जनवरी, 2018 के द्वारा आपको आबंटित कोड सं0-4227 Chief Engineer PWD में कर दिया गया है।

(2) इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0-22-लेखाशीर्षक-5054 सङ्करों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सङ्करों- 337-सङ्कर निर्माण कार्य-03 राज्य सेक्टर-02 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य (5054-04-800-03-02 से रथानान्तरित)के नामे डाला जायेगा।

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-646 / XXVII(2)/2018 दिनांक 11 जनवरी, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

( जीवन सिंह )  
उप सचिव

संख्या- ८०/ ११(२)/ १८-५२(एम०एल०३०)/ २०१७ तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायर्वाही हेतु प्रेषित :-

- महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोर्टर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
- 2. निजी सचिव, सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार।
- 3. आयुक्त, कुमाऊं मण्डल, नैनीताल।
- 4. जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।
- 5. मुख्य अभियन्ता, लोनिवि०, अल्मोड़ा।
- 6. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जनपद देहरादून/अल्मोड़ा।
- 7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 8. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
- 9. अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा।
- 10. अधिकारी अभियन्ता, निर्माण/प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा।
- 11. गार्ड बुक।

**श्री पति सत्यपित**

वित्त पक्ष अभियन्ता,  
विदाय जैष, ला०निवि०  
लालोडा।

आज्ञा से,

( जीवन सिंह )  
उप सचिव

(7)

-3-

शासनादेश संख्या:- ८० / ११(२) / १८-५२(एम०एल०ए०) / २०१७ दिनांक १६ जनवरी, २०१८ का संलग्नक

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र. सं	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी० मे०)	विभागीय टी०ए०सी० द्वारा अनुमोदित लागत	चालू वित्तीय वर्ष में अवमुक्त की जा रही धनराशि।
1	जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र-अल्मोड़ा के विकासखण्ड हवालबाग के अन्तर्गत करबला से ग्राम माल को जोड़ने हेतु मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	4.00	237.99	0.10
2	प्रथम अल्मोड़ा जी की घोषणा संख्या 138/2017 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र-अल्मोड़ा में एन.टी.डी.-कफड़खान मोटर मार्ग के किमी० 02 से ग्राम भुल्डूरा सब्जी उत्पादन क्षेत्र हेतु मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	3.50	96.37	0.10
3	जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र-अल्मोड़ा के अन्तर्गत पूनाकोट से बिन्तोला-बल्टा मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	4.00 + 20 mtr. Span	116.00	0.10
4	जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र-अल्मोड़ा के विकासखण्ड हवालबाग के कसार देवी (तिवाड़ी खान) से ग्राम माठ तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	2.50	148.74	0.10
5	जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र-अल्मोड़ा के विकासखण्ड हवालबाग के डीनापानी खडेग से मटेना तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	2.50	148.74	0.10
6	जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र-अल्मोड़ा के अन्तर्गत सल्ला भाटकोट से सूकना सल्यूणी तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	5.00	19.89	0.10
7	जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र-अल्मोड़ा के अन्तर्गत जोलवाज से ऐड़ीखान तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	5.00	19.89	0.10
8	जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र-अल्मोड़ा के अन्तर्गत हवालबाग-बसौली मोटर मार्ग में रिथत ग्राम पाखुड़ा से सुन्दर पुर तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	4.00	15.43	0.10
9	जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र-अल्मोड़ा के विकासखण्ड हवालबाग के अन्तर्गत ग्राम धारी से शमशान घाट लमगढ़ को जोड़ने हेतु मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	3.00	41.85	0.10
कुल		33.5 + 1 Bridge	844.90	0.90

(कुल ₹ नब्बे हजार मात्र)

द्वारा यो योग्यता स्वीकृति

सहाय्यक विधायक सभा,

विधायिक बंड, लालनाला,

बल्कोटा।

(जीवन सिंह)

उप सचिव